

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
आगरा, बहराइच, बादां, बाराबाकी, बरेली, बस्ती, इटावा, फतेहपुर, फैजाबाद, गाजियाबाद, हरदोई, झांसी,
कानपुर नगर, महोबा, मथुरा, मीरजापुर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, रायबरेली, सहारनपुर, सीतापुर, सुल्तानपुर,
उन्नाव, एवं वाराणसी।

पत्रांक सं०- एस०पी०एम०यू०/एन०सी०डी०/एन०एम०एच०पी०/०५/२०१७-१८/८६९९-२५ दिनांक २१-११-१७

विषय : राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष २०१७-१८ में द्वितीय किस्त के रूप में
धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय/महोदया,

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत वर्ष २०१७-१८ में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम
हेतु पर रू० २७८३.६६ लाख की धनराशि अनुमोदित की गई है।

नेशनल मेन्टल हेल्थ प्रोग्राम के अन्तर्गत संविदाकर्मियों का ०४ माह का मानदेय प्रथम किस्त के रूप में पूर्व
में ४५ जनपदों को अवमुक्त किया जा चुका है। ०३ माह (अगस्त, सितम्बर, अक्टूबर २०१७) का मानदेय द्वितीय किस्त
के रूप में २४ जनपदों हेतु अवमुक्त किया जा रहा है।

२. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उ०प्र० के प्रस्तावानुसार जनपदों की जिला स्वास्थ्य समिति के खाते
में जनपदवार, मदवार, गतिविधिवार कार्यक्रम हेतु कुल रू० २१४४२०००.०० की धनराशि द्वितीय किस्त के रूप में
निम्नलिखित तालिका के अनुसार जनपदों के जिला स्वास्थ्य समिति के खाते में अवमुक्त की जा चुकी है-

Payment Advice No.- C 111700 980071 Dated - 13.11.2017

Payment Advice No.- C 111700 980630 Dated - 13.11.2017

(Amt in Rs.)

National Mental Health Programme (NMHP)									
Salary Head									
Sl. No.	Name of Districts	Monitoring & Evaluation Officer (@ 21,000 pm & @ 20,000 pm)	Psychiatric Consultant (MD @ 100000 pm & D.P.M @ 95000 PM & M.B.B.S @ 90000 PM)	Clinical Psychologist (@ 63,000 pm & @ 60,000 pm)	Psychiatric Nurse (@ 42,000 pm & @ 40,000 pm)	Psychiatrist Social Worker (@ 52,500 pm & @ 50,000 pm)	Community Nurse (Case Manager) @ 25000 pm)	Case Registry Assistant @ 10,000 pm	Total
FMR CODE		A.10.2.8.5	B.30.3.2	B.30.11.2	B.30.1.11	B.30.11.4	B.30.1.2	B.30.13.7	
1	Agra	60000	300000	180000	120000	150000	0	30000	840000
2	Aligarh	0	0	0	0	0	0	0	0

3	Allahabad	0	0	0	0	0	0	0	
4	Ambedkar Nagar	0	0	0	0	0	0	0	
5	Amethi	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Badaun	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Bahraich	63000	300000	180000	126000	150000	75000	30000	924000
8	Balrampur	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Banda	63000	300000	189000	126000	158000	75000	30000	941000
10	Barabanki	63000	300000	189000	126000	158000	75000	30000	941000
11	Bareilly	60000	300000	180000	120000	150000	0	30000	840000
12	Basti	60000	300000	180000	120000	150000	0	30000	840000
13	Chitrakoot	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Deoria	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Etawah	63000	300000	189000	126000	158000	75000	30000	941000
16	Faizabad	63000	300000	189000	126000	158000	75000	30000	941000
17	Fatehpur	63000	300000	189000	126000	158000	75000	30000	941000
18	Firozabad	0	0	0	0	0	0	0	0
19	G.B. Nagar	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Ghaziabad	60000	300000	180000	120000	150000	0	30000	840000
21	Gonda	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Gorakhpur	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Hamirpur	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Hardoi	63000	300000	189000	126000	158000	75000	30000	941000
25	Hathras	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Jalaun	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Jaunpur	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jhansi	60000	300000	180000	120000	150000	0	30000	840000
29	Kanpur	63000	300000	189000	126000	158000	75000	30000	941000
30	Lakhimpur Kheri	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Lucknow	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Mahoba	60000	300000	180000	120000	150000	0	30000	840000
33	Mathura	60000	300000	180000	120000	150000	0	30000	840000
34	Meerut	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Mirzapur	60000	300000	180000	126000	150000	75000	30000	921000
36	Moradabad	60000	300000	180000	126000	150000	0	30000	846000
37	Muzaffargarh	60000	300000	180000	120000	150000	0	30000	840000
38	Pratapgarh	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Raebareli	63000	300000	189000	126000	158000	75000	30000	941000
40	Saharanpur	60000	300000	180000	120000	150000	0	30000	840000

41	Shahajahanpur	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sitapur	63000	300000	189000	126000	158000	75000	30000	941000
43	Sultanpur	63000	300000	189000	126000	158000	75000	30000	941000
44	Unnao	63000	300000	189000	126000	158000	75000	30000	941000
45	Varanasi	60000	300000	180000	120000	150000	0	30000	840000
		1476000	7200000	4419000	2964000	3688000	975000	720000	21442000

भारत सरकार द्वारा प्राप्त वर्ष 2017-18 की आर0ओ0पी0 में Ward Assistant/ orderly के मानदेय का अनुमोदन प्राप्त नहीं हुआ है। Ward Assistant/ orderly का मानदेय वर्ष 2017-18 की पूरक कार्ययोजना में सम्मिलित कर भारत सरकार को प्रेषित किया गया है। भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त होने के पश्चात जनपदों को धनराशि अवमुक्त कर दी जायेगी।

- 1 धनराशि का आवंटन मात्र, आपको व्यय करने के लिए प्राधिकृत नहीं करता, अपितु वित्तीय नियमों, शासनादेशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृत के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जायेगा। जिस कार्यक्रम/ मद में धनराशि अवमुक्त की गई है उसी कार्यक्रम/ मद में व्यय उसी सीमा तक नियमानुसार किया जायें।
- 2 स्वीकृत मद का पुर्नविनियोग (re - appropriation) राज्य कार्यकारी समिति, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 की अनुमति के बिना कदाति न किया जाये। साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित किया जाये कि एक कार्यक्रम की धनराशि दूसरे कार्यक्रमों में स्थानान्तरित न की जायें। धनराशि के व्यय में यदि कोई अनियमितता होती है। तो इसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।
- 3 जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाइयों के वित्तीय अभिलेख, कैशबुक, बैंक बुक, लेजर, चेक इश्यू का रजिस्टर आदि लेखा पुस्तकों में सभी प्रविष्टियां समय से पूर्ण करायें साथ ही समयानुसार सत्यापन भी सक्षम अधिकारी द्वारा करना सुनिश्चित करें।
- 4 जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाइयों के बैंक समाधान विवरण प्रत्येक माह के अन्त में तैयार करना सुनिश्चित करायें जिससे बैंक खातों तथा सोसाइटी एवं समस्त इकाइयों के लेखों में कोई भिन्नता न रहें।
- 5 प्रत्येक माह का मासिक व्यय विवरण (एफ0एम0आर0) लेखापुस्तकों की प्रविष्टियां से मिलान कर तैयार किया जायें तथा यह भी सुनिश्चित कर लें कि प्रत्येक माह की एफ0एम0आर0 में दर्शायी गयी धनराशि एवं लेखापुस्तकों में प्रविष्टि की गयी धनराशि में मदवार कोई अन्तर न रहें।
- 6 व्यय से सम्बन्धित समस्त लेखाबहियां, बिल, वाउचर व अन्य अभिलेखों को अपने स्तर पर सुरक्षित रखें एवं नियुक्ति मासिक कान्क्रेन्ट आडिटर, स्टेटच्युरी आडिटर, महालेखाकार की आडिट एवं सक्षम निरीक्षण अधिकारी हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 7 राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये संशोधित आपरेशनल गाइडलाइन फार फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट में दिये गये दिशा निर्देशों एवं प्रक्रिया का समयबद्ध पालन समस्त स्तरों पर किया जाना सुनिश्चित करें।
- 8 भारत सरकार के नियंत्रक/महालेखा परीक्षा द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 के परफारमेन्स आडिट रिपोर्ट में उठाई गयी मुख्य आपत्तियों के परिप्रेक्ष्य में मुख्य सचिव, महोदय उ0प्र0 शासन के निर्देशों के अन्तर्गत गठित समिति की दिनांक 01.06.2012 को सम्पन्न हुई बैठक में समिति द्वारा की गयी संस्तुतियों की प्रति पत्र सं0 SPMU/NRHM/ACCOUNT/490-8 दिनांक 13.06.2012 के द्वारा करायी गयी है। को सज्ञान में लेना सुनिश्चित करें।

- 9 उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। समयान्तर्गत अनुपालन न होने की स्थिति में सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार विभागीय अनुशासनात्मक एवं दण्डात्मक कार्यवाही हेतु प्रकरण प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ०प्र० शासन को संदर्भित कर दिया जाएगा।

भवदीय.

(पंकज कुमार)
मिशन निदेशक

पत्रांक— एस०पी०एम०यू०/एन०सी०डी०/एन०एम०एच०पी०/०५/२०१७-१८/
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

तद्दिनांक

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ० प्र० शासन।
2. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, लखनऊ, उ०प्र०।
3. राज्य कार्यक्रम अधिकारी, एन०एम०एच०पी० स्वास्थ्य भवन लखनऊ को सूचनार्थ।
4. वरिष्ठ क्षेत्रीय निदेशक, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, केन्द्रीय भवन, अलीगंज, लखनऊ।
5. समस्त जिलाधिकारी, उ०प्र०।
6. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ०प्र०।
7. समस्त मण्डलीय परियोजना प्रबन्धक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ०प्र०।
8. महाप्रबन्धक, एम०आई०एस०, एस०पी०एम०यू०, एन०एम०एच०पी० को इस आशय से प्रेषित कि पत्र की प्रति एन०एम०एच०पी० वेबसाइट—www.upnrhm-gov-in पर अपलोड करने का कष्ट करें।
9. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ०प्र०।

(डा० ए० बी० सिंह)
उपमहाप्रबन्धक, एन०सी०डी०

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
आगरा, बहराइच, बादां, बाराबाकी, बरेली, बस्ती, इटावा, फतेहपुर, फैजाबाद, गाजियाबाद, हरदोई, झांसी,
कानपुर नगर, महोबा, मथुरा, मीरजापुर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, रायबरेली, सहारनपुर, सीतापुर, सुल्तानपुर,
उन्नाव, एवं वाराणसी।

पत्रांक सं०- एस०पी०एम०यू०/एन०सी०डी०/एन०एम०एच०पी०/०५/२०१७-१८/

दिनांक 21-11-17

विषय : राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष २०१७-१८ में द्वितीय किस्त के रूप में
धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय/महोदया,

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत वर्ष २०१७-१८ में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम
हेतु पर रू० २७८३.६६ लाख की धनराशि अनुमोदित की गई है।

नेशनल मेन्टल हेल्थ प्रोग्राम के अन्तर्गत संविदाकर्मियों का ०४ माह का मानदेय प्रथम किस्त के रूप में पूर्व
में ४५ जनपदों को अवमुक्त किया जा चुका है। ०३ माह (अगस्त, सितम्बर, अक्टूबर २०१७) का मानदेय द्वितीय किस्त
के रूप में २४ जनपदों हेतु अवमुक्त किया जा रहा है।

२. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उ०प्र० के प्रस्तावानुसार जनपदों की जिला स्वास्थ्य समिति के खाते
में जनपदवार, मदवार, गतिविधिवार कार्यक्रम हेतु कुल रू० २१४४२०००.०० की धनराशि द्वितीय किस्त के रूप में
निम्नलिखित तालिका के अनुसार जनपदों के जिला स्वास्थ्य समिति के खाते में अवमुक्त की जा चुकी है-

Payment Advice No.- C 111700980071 Dated- 13.11.2017

Payment Advice No.- C 111700980630 Dated- 13.11.2017 (Amt in Rs.)

National Mental Health Programme (NMHP)									
Salary Head									
Sl. No.	Name of Districts	Monitoring & Evaluation Officer (@ 21,000 pm & @ 20,000 pm)	Psychiatric Consultant (MD @ 100000 pm & D.P.M @ 95000 PM & M.B.B.S @ 90000 PM)	Clinical Psychologist (@ 63,000 pm & @ 60,000 pm)	Psychiatric Nurse (@ 42,000 pm & @ 40,000 pm)	Psychiatrist Social Worker (@ 52,500 pm & @ 50,000 pm)	Community Nurse (Case Manager) @ 25000 pm)	Case Registry Assistant @ 10,000 pm	Total
FMR CODE		A.10.2.8.5	B.30.3.2	B.30.11.2	B.30.1.11	B.30.11.4	B.30.1.2	B.30.13.7	
1	Agra	60000	300000	180000	120000	150000	0	30000	840000
2	Aligarh	0	0	0	0	0	0	0	0

3	Allahabad	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Ambedkar Nagar	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Amethi	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Badaun	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Bahraich	63000	300000	180000	126000	150000	75000	30000	924000
8	Balrampur	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Banda	63000	300000	189000	126000	158000	75000	30000	941000
10	Barabanki	63000	300000	189000	126000	158000	75000	30000	941000
11	Bareilly	60000	300000	180000	120000	150000	0	30000	840000
12	Basti	60000	300000	180000	120000	150000	0	30000	840000
13	Chitrakoot	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Deoria	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Etawah	63000	300000	189000	126000	158000	75000	30000	941000
16	Faizabad	63000	300000	189000	126000	158000	75000	30000	941000
17	Fatehpur	63000	300000	189000	126000	158000	75000	30000	941000
18	Firozabad	0	0	0	0	0	0	0	0
19	G.B. Nagar	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Ghaziabad	60000	300000	180000	120000	150000	0	30000	840000
21	Gonda	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Gorakhpur	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Hamirpur	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Hardoi	63000	300000	189000	126000	158000	75000	30000	941000
25	Hathras	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Jalaun	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Jaunpur	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jhansi	60000	300000	180000	120000	150000	0	30000	840000
29	Kanpur	63000	300000	189000	126000	158000	75000	30000	941000
30	Lakhimpur Kheri	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Lucknow	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Mahoba	60000	300000	180000	120000	150000	0	30000	840000
33	Mathura	60000	300000	180000	120000	150000	0	30000	840000
34	Meerut	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Mirzapur	60000	300000	180000	126000	150000	75000	30000	921000
36	Moradabad	60000	300000	180000	126000	150000	0	30000	840000
37	Muzaffargarh	60000	300000	180000	120000	150000	0	30000	840000
38	Pratapgarh	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Raebareli	63000	300000	189000	126000	158000	75000	30000	941000
40	Saharanpur	60000	300000	180000	120000	150000	0	30000	840000

41	Shahajahanpur	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sitapur	63000	300000	189000	126000	158000	75000	30000	941000
43	Sultanpur	63000	300000	189000	126000	158000	75000	30000	941000
44	Unnao	63000	300000	189000	126000	158000	75000	30000	941000
45	Varanasi	60000	300000	180000	120000	150000	0	30000	840000
		1476000	7200000	4419000	2964000	3688000	975000	720000	21442000

भारत सरकार द्वारा प्राप्त वर्ष 2017-18 की आर0ओ0पी0 में Ward Assistant/ orderly के मानदेय का अनुमोदन प्राप्त नहीं हुआ है। Ward Assistant/ orderly का मानदेय वर्ष 2017-18 की पूरक कार्ययोजना में सम्मिलित कर भारत सरकार को प्रेषित किया गया है। भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त होने के पश्चात जनपदों को धनराशि अवमुक्त कर दी जायेगी।

- 1 धनराशि का आवंटन मात्र, आपको व्यय करने के लिए प्राधिकृत नहीं करता, अपितु वित्तीय नियमों, शासनादेशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृत के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जायेगा। जिस कार्यक्रम/ मद में धनराशि अवमुक्त की गई है उसी कार्यक्रम/ मद में व्यय उसी सीमा तक नियमानुसार किया जायें।
- 2 स्वीकृत मद का पुर्नविनियोग (re - appropriation) राज्य कार्यकारी समिति, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 की अनुमति के बिना कदाति न किया जाये। साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित किया जाये कि एक कार्यक्रम की धनराशि दूसरे कार्यक्रमों में स्थानान्तरित न की जायें। धनराशि के व्यय में यदि कोई अनियमितता होती है। तो इसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।
- 3 जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाइयों के वित्तीय अभिलेख, कैशबुक, बैंक बुक, लेजर, चेक इश्यू का रजिस्टर आदि लेखा पुस्तकों में सभी प्रविष्टियां समय से पूर्ण करायें साथ ही समयानुसार सत्यापन भी सक्षम अधिकारी द्वारा करना सुनिश्चित करें।
- 4 जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाइयों के बैंक समाधान विवरण प्रत्येक माह के अन्त में तैयार करना सुनिश्चित करायें जिससे बैंक खातों तथा सोसाइटी एवं समस्त इकाइयों के लेखों में कोई भिन्नता न रहे।
- 5 प्रत्येक माह का मासिक व्यय विवरण (एफ0एम0आर0) लेखापुस्तकों की प्रविष्टियां से मिलान कर तैयार किया जायें तथा यह भी सुनिश्चित कर लें कि प्रत्येक माह की एफ0एम0आर0 में दर्शायी गयी धनराशि एवं लेखापुस्तकों में प्रविष्टि की गयी धनराशि में मदवार कोई अन्तर न रहे।
- 6 व्यय से सम्बन्धित समस्त लेखाबहियां, बिल, वाउचर व अन्य अभिलेखों को अपने स्तर पर सुरक्षित रखें एवं नियुक्ति मासिक कान्क्रेन्ट आडिटर, स्टेटच्युरी आडिटर, महालेखाकार की आडिट एवं सक्षम निरीक्षण अधिकारी हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 7 राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये संशोधित आपरेशनल गाइडलाइन फार फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट में दिये गये दिशा निर्देशों एवं प्रक्रिया का समयबद्ध पालन समस्त स्तरों पर किया जाना सुनिश्चित करें।
- 8 भारत सरकार के नियंत्रक/महालेखा परीक्षा द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 के परफारमेन्स आडिट रिपोर्ट में उठाई गयी मुख्य आपत्तियों के परिप्रेक्ष्य में मुख्य सचिव, महोदय उ0प्र0 शासन के निर्देशों के अन्तर्गत गठित समिति की दिनांक 01.06.2012 को सम्पन्न हुई बैठक में समिति द्वारा की गयी संस्तुतियों की प्रति पत्र सं0 SPMU/NRHM/ACCOUNT/490-8 दिनांक 13.06.2012 के द्वारा करायी गयी है। को सज्ञान में लेना सुनिश्चित करें।

- 9 उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। समयान्तर्गत अनुपालन न होने की स्थिति में सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार विभागीय अनुशासनात्मक एवं दण्डात्मक कार्यवाही हेतु प्रकरण प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ०प्र० शासन को संदर्भित कर दिया जाएगा।

भवदीय

(पंकज कुमार)
मिशन निदेशक

8699-24-7

पत्रांक- एस०पी०एम०यू०/एन०सी०डी०/एन०एम०एच०पी०/०५/२०१७-१८/

तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ० प्र० शासन।
2. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, लखनऊ, उ०प्र०।
3. राज्य कार्यक्रम अधिकारी, एन०एम०एच०पी० स्वास्थ्य भवन लखनऊ को सूचनार्थ।
4. वरिष्ठ क्षेत्रीय निदेशक, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, केन्द्रीय भवन, अलीगंज, लखनऊ।
5. समस्त जिलाधिकारी, उ०प्र०।
6. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ०प्र०।
7. समस्त मण्डलीय परियोजना प्रबन्धक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ०प्र०।
8. महाप्रबन्धक, एम०आई०एस०, एस०पी०एम०यू०, एन०एम०एच०पी० को इस आशय से प्रेषित कि पत्र की प्रति एन०एम०एच०पी० वेबसाइट-www.upnrhm.gov.in पर अपलोड करने का कष्ट करें।
9. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ०प्र०।



(डा० ए० बी० सिंह)

उपमहाप्रबन्धक, एन०सी०डी०